डिस्कलेमर

परामर्श पत्र संख्या 31/2021-22 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल संख्या ऐरा/20010/एमवाईटीपी/सीएएसआई/बीएमई/बीएलआर/सीपी-III/2021-26

परामर्श पत्र संख्या 31/ 2021-22

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मैसर्स सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीएएसआई) के संबंध में कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू में तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए ब्रिज माउंटेड उपस्कर सेवाओं (बीएमईएस) के लिए टैरिफ के निर्धारण के मामले में

जारी करने की तारीख : 04 फरवरी, 2022

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

प्राधिकरण को ज्ञात है कि विमानन क्षेत्र **कोविड-19 महामारी** के कारण अत्यधिक अस्त–व्यस्त और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है और इसकी वजह से विश्व भर के प्रमुख शहरों में लॉकडाउन की स्थिति होने के परिणामस्वरूप अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों हवाई यात्राओं पर रोक है। हालांकि कुछ समय के लिए इससे राहत मिली थी, लेकिन डेल्टा और ओमिक्रोन/डेल्टाक्रोम नामक नए 'चिंताजनक भिन्न डेल्टा' के माध्यम से संक्रमण फैलने के साथ ही फिर से हवाई यातायात का आवागमन प्रभावित होना शुरू हो गया। प्राधिकरण ने स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत **बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव ('एमवाईटीपी')** में दिए गए विभिन्न अनुमानों के आधार पर **कोविड-19 महामारी** के प्रभाव की जांच करने के बाद यह परामर्श पत्र जारी किया है। तदनुसार टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण का मत इस परामर्श पत्र में विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

इसलिए ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 04 फरवरी, 2022 के परामर्श पत्र संख्या 31/2021-22 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
ऐरा प्रशासनिक परिसर, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल : satish.kr@aera.gov.in
प्रतिलिपि : secrtary@aera.gov.in :director-ps@aera.gov.in; rd.vishwakarma@govcontractor.in

हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	**03.03.2022**
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	**14.03.2022**

टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

अध्याय 11 : प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार

कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू में प्रदान करने के लिए प्रस्तावित सीएएसआई के टैरिफ निर्धारण संबंधी संगत अध्यायों के संबंध में प्राधिकरण के प्रस्ताव हितधारकों के परामर्श के प्रयोजनार्थ नीचे उल्लिखित सार में दिए गए हैं:

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	2.7.1	प्राधिकरण मैसर्स सीएएसआई के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए **"सिंगल टिल आधार"** पर **"प्राइस कैप अप्रोच"** अपनाने का प्रस्ताव करता है।	11
अध्याय संख्या 3	3.11.1	प्राधिकरण तालिका 7 के अनुसार यातायात मात्रा (विमानों के आवागमन) और एयरोब्रिज प्राप्त करने के लिए तालिका 8 के अनुसार यातायात मात्रा को मानने का प्रस्ताव करता है।	15
	3.11.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातयात की मात्रा को ट्रूअप करने का प्रस्ताव करता है।	
अध्याय संख्या 4.	4.3.1	प्राधिकरण तालिका 12 के अनुसार पूंजीगत व्यय को मानने का प्रस्ताव करता है।	18
	4.3.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय को ट्रूअप करने का प्रस्ताव करता है।	
	4.3.3	प्राधिकरण कोई भी विशेष उपकरण प्रस्तावित समय-सीमा के अनुसार चालू न किए जाने की स्थिति में अगली नियंत्रण अवधि के लिए ट्रूअप कार्य में एआरआर/ लक्ष्य राजस्व से पूंजीकृत न की गई उपस्कर की लागत का 1% घटाने (समायोजित करने) का भी प्रस्ताव करता है।	
अध्याय संख्या 5.	5.6.1	प्राधिकरण तालिका 14 के अनुसार मूल्यह्रास को मानने का प्रस्ताव करता है।	21
	5.6.2	प्राधिकरण तालिका 16 के अनुसार आरएबी को मानने का प्रस्ताव करता है।	
	5.6.3	प्राधिकरण तालिका 17 के अनुसार प्रतिभूति जमा पर 5% के प्रतिलाभ की नाममात्र की दर को मानने का प्रस्ताव करता है।	
	5.6.4	प्रधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास, आरएबी और प्रतिभूति जमा को ट्रूअप करने का प्रस्ताव करता है।	
अध्याय संख्या 6	6.4.1	प्राधिकरण ईक्विटी की लागत 14% तक संशोधित करने का प्रस्ताव करता है।	23
	6.4.2	प्राधिकरण ऋृण की लागत 8.10% अंगीकार करने का प्रस्ताव करता है।	
	6.4.3	प्राधिकरण तालिका 20 के अनुसार संशोधित एफआरओआर को अंगीकार करने का प्रस्ताव करता है।	

अध्याय 12 हितधारकों से परामर्श

12.1 ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त अध्याय 11 में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है। हितधारकों की सार्थक और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुति करने में उनकी सहायता करने के लिए परामर्श पत्र में आवश्यक संलग्नक लगाए गए हैं।

12.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का इस प्राधिकरण के किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप से प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

12.3 प्राधिकरण उपर्युक्त अध्याय 12 में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक,टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 03 मार्च, 2022 तक भेज दिया जाए :-

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, प्रशासनिक परिसर, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048
ई-मेल : satish.kr@aera.gov.in
प्रतिलिपि : secrtary@aera.gov.in; director-ps@aera.gov.in;
rd.vishwakarma@govcontractor.in

(अध्यक्ष)

संलग्नक -I

सीएएसआई द्वारा केआईए,बैंगलुरू में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ब्रिज माउंटेड उपस्कर सेवाओं के लिए प्रस्तावित टैरिफ दरें

वित्त वर्ष 2021-22	सेवाएं	एफईजीपी (प्रति घंटा रूपए)		पीसीए (प्रति घंटा रूपए)	
अंतरदेशीय	Code C		2,750		4,130
	Code D		3,300		4,400
	Code E		3,850		4,680
अंतरराष्ट्रीय	Code C	Single Cable	6,330	Upto 60 Ton	6,440
		Double Cable	7,650	Between 61 Ton - 90 Ton	7,180
	Code D	Single Cable	6,330	Upto 90 Ton	7,180
		Double Cable	7,650		
	Code E	Single Cable	6,330	Upto 90 Ton	7,180
		Double Cable	7,650		
	Code F	Single Cable	6,330	Upto 90 Ton	7,180
		Double Cable	7,650	Upto 91 Ton to 120 Ton	8,280
				Above 120 Ton	9,600

वित्त वर्ष 2022-23	सेवाएं	एफईजीपी (प्रति घंटा रूपए)		पीसीए (प्रति घंटा रूपए)	
अंतरदेशीय	Code C		2,750		4,130
	Code D		3,300		4,400
	Code E		3,850		4,680
अंतरराष्ट्रीय	Code C	Single Cable	6,330	Upto 60 Ton	6,440
		Double Cable	7,650	Between 61 Ton - 90 Ton	7,180
	Code D	Single Cable	6,330	Upto 90 Ton	7,180
		Double Cable	7,650		
	Code E	Single Cable	6,330	Upto 90 Ton	7,180
		Double Cable	7,650		
	Code F	Single Cable	6,330	Upto 90 Ton	7,180
		Double Cable	7,650	Upto 91 Ton to 120 Ton	8,280
				Above 120 Ton	9,600

वित्त वर्ष 2023-24	सेवाएं	एफईजीपी (प्रति घंटा रूपए)		पीसीए (प्रति घंटा रूपए)	
अंतरदेशीय	Code C		2,750		4,130
	Code D		3,300		4,400
	Code E		3,850		4,680
अंतरराष्ट्रीय	Code C	Single Cable	6,330	Upto 60 Ton	6,440
		Double Cable	7,650	Between 61 Ton - 90 Ton	7,180
	Code D	Single Cable	6,330	Upto 90 Ton	7,180
		Double Cable	7,650		
	Code E	Single Cable	6,330	Upto 90 Ton	7,180
		Double Cable	7,650		
	Code F	Single Cable	6,330	Upto 90 Ton	7,180
		Double Cable	7,650	Upto 91 Ton to 120 Ton	8,280
				Above 120 Ton	9,600

वित्त वर्ष 2024-25	सेवाएं	एफईजीपी (प्रति घंटा रूपए)		पीसीए (प्रति घंटा रूपए)	
अंतरदेशीय	Code C		2,750		4,130
	Code D		3,300		4,400
	Code E		3,850		4,680
अंतरराष्ट्रीय	Code C	Single Cable	6,330	Upto 60 Ton	6,440
		Double Cable	7,650	Between 61 Ton - 90 Ton	7,180
	Code D	Single Cable	6,330	Upto 90 Ton	7,180
		Double Cable	7,650		
	Code E	Single Cable	6,330	Upto 90 Ton	7,180
		Double Cable	7,650		
	Code F	Single Cable	6,330	Upto 90 Ton	7,180
		Double Cable	7,650	Upto 91 Ton to 120 Ton	8,280
				Above 120 Ton	9,600

वित्त वर्ष 2025-26	सेवाएं	एफईजीपी (प्रति घंटा रूपए)		पीसीए (प्रति घंटा रूपए)	
अंतरदेशीय	Code C		2,750		4,130
	Code D		3,300		4,400
	Code E		3,850		4,680
अंतरराष्ट्रीय	Code C	Single Cable	6,330	Upto 60 Ton	6,440
		Double Cable	7,650	Between 61 Ton - 90 Ton	7,180
	Code D	Single Cable	6,330	Upto 90 Ton	7,180
		Double Cable	7,650		
	Code E	Single Cable	6,330	Upto 90 Ton	7,180
		Double Cable	7,650		
	Code F	Single Cable	6,330	Upto 90 Ton	7,180
		Double Cable	7,650	Upto 91 Ton to 120 Ton	8,280
				Above 120 Ton	9,600

संलग्नक-II

सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में केआईए, बैंगलुरू में ब्रिज माउंटेड उपस्कर सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित टैरिफ दरें हितधारकों के परामर्श के लिए

01.04.2022 से लागू किए जाने के लिए प्रस्तावित संशोधित टैरिफ

वित्त वर्ष 2022-23	सेवाएं	एफईजीपी (प्रति घंटा रूपए)		पीसीए (प्रति घंटा रूपए)	
अंतरदेशीय	Code C		2,148		3,226
	Code D		2,577		3,436
	Code E		3,007		3,655
अंतरराष्ट्रीय	Code C	Single Cable	4,944	Upto 60 Ton	5,030
		Double Cable	5,975	Between 61 Ton - 90 Ton	5,608
	Code D	Single Cable	4,944	Upto 90 Ton	5,608
		Double Cable	5,975		
	Code E	Single Cable	4,944	Upto 90 Ton	5,608
		Double Cable	5,975		
	Code F	Single Cable	4,944	Upto 90 Ton	5,608
		Double Cable	5,975	Upto 91 Ton to 120 Ton	6,467
				Above 120 Ton	7,498

वित्त वर्ष 2023-24	सेवाएं	एफईजीपी (प्रति घंटा रूपए)		पीसीए (प्रति घंटा रूपए)	
अंतरदेशीय	Code C		2,148		3,226
	Code D		2,577		3,436
	Code E		3,007		3,655
अंतरराष्ट्रीय	Code C	Single Cable	4,944	Upto 60 Ton	5,030
		Double Cable	5,975	Between 61 Ton - 90 Ton	5,608
	Code D	Single Cable	4,944	Upto 90 Ton	5,608
		Double Cable	5,975		
	Code E	Single Cable	4,944	Upto 90 Ton	5,608
		Double Cable	5,975		
	Code F	Single Cable	4,944	Upto 90 Ton	5,608
		Double Cable	5,975	Upto 91 Ton to 120 Ton	6,467
				Above 120 Ton	7,498

वित्त वर्ष 2024-25	सेवाएं	एफईजीपी (प्रति घंटा रूपए)		पीसीए (प्रति घंटा रूपए)	
अंतरदेशीय	Code C		2,148		3,226
	Code D		2,577		3,436
	Code E		3,007		3,655
अंतरराष्ट्रीय	Code C	Single Cable	4,944	Upto 60 Ton	5,030
		Double Cable	5,975	Between 61 Ton - 90 Ton	5,608
	Code D	Single Cable	4,944	Upto 90 Ton	5,608
		Double Cable	5,975		
	Code E	Single Cable	4,944	Upto 90 Ton	5,608
		Double Cable	5,975		
	Code F	Single Cable	4,944	Upto 90 Ton	5,608
		Double Cable	5,975	Upto 91 Ton to 120 Ton	6,467
				Above 120 Ton	7,498

वित्त वर्ष 2025-26	सेवाएं	एफईजीपी (प्रति घंटा रूपए)		पीसीए (प्रति घंटा रूपए)	
अंतरदेशीय	Code C		2,148		3,226
	Code D		2,577		3,436
	Code E		3,007		3,655
अंतरराष्ट्रीय	Code C	Single Cable	4,944	Upto 60 Ton	5,030
		Double Cable	5,975	Between 61 Ton - 90 Ton	5,608
	Code D	Single Cable	4,944	Upto 90 Ton	5,608
		Double Cable	5,975		
	Code E	Single Cable	4,944	Upto 90 Ton	5,608
		Double Cable	5,975		
	Code F	Single Cable	4,944	Upto 90 Ton	5,608
		Double Cable	5,975	Upto 91 Ton to 120 Ton	6,467
				Above 120 Ton	7,498